

श्री अतर सिंह,
गाँव व डाकखाना कंगन हेड़ी,
नई दिल्ली-110071.

उप निदेशक (राजस्व) पश्चिम

आदेश

इस आदेश द्वारा श्री अतर सिंह, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 03-08-2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 28.10.2015 को अपील की सुनवाई की गई। नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्री अतर सिंह उपस्थित नहीं हुए एवं श्री अनिल कुमार रांगा, मुख्य लिपिक द्वारा क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (प0)-III, पश्चिम विहार, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 03.07.2015 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर उचित कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 03.08.2015 को दायर की।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर मांगी गई सूचना के अनुसार नहीं दिया है। अपीलकर्ता ने अपील में लिखा है कि प्रश्न संख्या 2 का उत्तर तालिका के अनुसार दिया जाए।

अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के पारित होने के सात दिन के अन्दर अपीलकर्ता को क्रमबद्ध तरीके से आवश्यक सूचना प्रदान की जाए अपीलकर्ता को भी सुझाव दिया जाता है कि वे सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी / सहायक जनसूचना अधिकारी से मिलकर आवश्यक सूचना की प्रतिलिपियां प्राप्त कर लें।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता है :-

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी-विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली- 110066

ह0/-
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री अतर सिंह, गाँव व डाकखाना कंगन हेड़ी, नई दिल्ली-110071.
2. उप निदेशक (राजस्व) पश्चिम 308 3156
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (प0)-III, पश्चिम विहार।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0) को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट